न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/9

1. जस्सू सिंह पुत्र मानसिंह, जाति राजपूत निवासी मण्डीजा बसई, तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड निर्णय दिनांक 04.03.2022

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड़, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –27.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 04.03.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 24.01.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर द्वारा दिनांक 13.01.2022 को प्रस्ताव बाबत चालू स्थाई रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ ग्राम मण्डीजाबसई, तहसील बानूसर के आराजी खसरा नम्बर 800/588, 801/588, 802/588, 628, 629, 621, 620, 645, 646, में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर ने तहसीलदार बानसूर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 13.01.2022 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 04.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री जस्सू पुत्र मानसिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 04.03.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा एक मौका निरीक्षण रिपोर्ट आराजी खसरा नम्बर 800/588, 801/588, 802/588, 803/588 व खसरा नम्बर 628, 629, 621, 620, 645, 646 वाके ग्राम मण्डिजा बसई का मौका निरीक्षण कर खसरा नम्बर 800/588 से 646 तक रास्ता दिये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर के समक्ष प्रस्तुत की। तहसीलदार बानसूर द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 13.01.2022 को अपनी अनुशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता दर्ज करने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना कोई सूचना जारी किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किसी प्रकार की कोई सूचना जारी नही की गई और ना ही तहसीलदार द्वारा व पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट करते समय भी कोई सूचना नही दी गई बल्कि समस्त कार्यवाही बाला–बाला की गई है। अपीलान्ट की आराजी खसरा 645 रकबा 1.25 हैक्टयर मे से कभी कोई रास्ता नही रहा और ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का बिना मौका देखे ही सरपंच के दबाव में आकर अपीलान्ट की आराजी में से रास्ता दर्शाया गया है जबकि राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज ही नही है, ना ही नक्शे में कोई कच्चा व पक्का रास्ता दर्शाया गया है, ना ही कभी पगडण्डी के रूप में दर्शाया गया है। अपीलान्ट की आराजी से लगती हुई खसरा नम्बर 646 की भूमि है। जिसके सम्बंध में एक समझौता भी अपीलान्ट व जगदीश पुत्र श्री हीरादास के मध्य लिखित में हआ था जिसमे मंदिर में आने–जाने के लिऐ रास्ता अपीलान्ट द्वारा अपने कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी में दिया गया था और उसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 645 में कोई रास्ता नही है बल्कि खसरा नम्बर 646 तक ही रास्ता है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 646 के अंतिम छोर तक रास्ता दर्शया गया है, जो नितान्त गलत व मौके के खिलाफ है। अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 645 में से रास्ता दर्शाया गया है। वह आबादी है व मकानात बने हुए है और उनके पास से ही खसरा नम्बर 646 की सीमा प्रारम्भ हो जाती है। जहॉ तक रास्ता पहले से ही चालू था। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 646 के अन्तिम छोर तक रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य भी नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी–31 की प्रति सम्मन के साथ दी जायेगी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में उपरोक्त कार्यवाही नहीं की गई और इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज करते हुऐ अपीलाधीन आदेश पारित किया है। राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 द्वारा सभी जिला कलक्टर्स द्वारा जिले में सम्पादित उक्त रास्ते से सम्बन्धित कार्यो की प्रगति की समीक्षा सप्ताहित तौर पर किया जाना सुनिश्चित करने व साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिला कलक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि दिनांक 15.12.2016 के बाद उनके जिले में रास्ते सम्बन्धी कोई समस्या लम्बित एवं शेष नही है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को पाबन्द किया गया कि वे रास्ता सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिसम्बर 2016 से पूर्व कर ले लेकिन उक्त प्रकरण में सात साल बाद रास्ते सम्बन्धी कार्यवाही की गई है जो अपने आप में ही सन्देहास्पद है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.01.2024 को हुई। जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर दिनांक 04.01.2024 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 04.01.2024 को ही प्राप्त हुई। नकल प्राप्त करने के पश्चात् अपीलान्ट ने वकील साहब से सलाह मशोहरा किया। जिन्होने अपील दायर करने की सलाह दी। अपीलान्ट काश्तकार पेशा व्यक्ति है और कानूनन से अनभिज्ञा है। वकील साहब से सलाह व पैसे आदि का इन्तजाम कर वकील साहब से सम्पर्क किया और अविलम्ब जानकारी की दिनांक से अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है। विलम्ब के समबन्ध में अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में बारहमासी चालू व स्थायी रास्तों को राजस्व रिकार्ड में

दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्र के रास्तों का चिन्हीकरण कर रास्तों का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा कुल 9 खसरा नम्बरों में से रास्ते का अंकन करने के आदेश पारित किये गये है जिनमें से अपीलान्ट का केवल 1 खसरा नम्बर 645 ही है। शेष खसरा नम्बर अन्य खातेदारान के है जिनके द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष कोई आपत्ति या किसी प्रकार के उज्रात नही किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि रास्ता पूर्व से चालू रहा है और सभी काश्तकारान की सहमति है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 03.01.2024 से होना अंकित किया गया है, किन्तु मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.12.2021 के संलग्न नक्शा ट्रेस में अपीलान्ट श्री जस्सू सिंह स्वंय के हस्ताक्षर अंकित है। जिससे यह माना जाता है कि श्री जस्सू सिंह को कार्यवाही की जानकारी नहीं थी, उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि रास्तों की समस्याओं के निस्तारण हेतु राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बारहमासी चालू रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु मौका रिपोर्ट नक्शे इत्यादि तैयार किये गये है तथा मौके पर रास्ते हेतु तैयार किये गये नक्शे पर अपीलार्थी जस्सू सिंह स्वयं के हस्ताक्षर उपलब्ध है। जिससे अपीलार्थी का यह कथन की उन्हे उक्त कार्यवाही की जानकारी नही थी, मान्य नही है बल्कि अपीलार्थी जस्सूसिंह स्वयं के हस्ताक्षर उक्त रास्तों के सम्बन्ध में उनकी सहमति को दर्शाते है। साथ ही अपीलाधीन आदेश द्वारा कुल 9 खसरा नम्बरान में से रास्ता अंकन किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित किया गया है। जो भिन्न–भिन्न खातेदारान के है जिनमें से सिर्फ अपीलान्ट द्वारा ही न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पर उज्रात कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। शेष खातेदारान के द्वारा कोई उज्रात/आपत्ति न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि बारहमासी चालू रास्तों को राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में खातेदारान की सहमति रही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानूसर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ0 प्रदीप कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर